

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/परिवीक्षा/जोन-जयपुर/2023/225 दिनांक : 02/03/23

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री शुभम सैन, कनिष्ठ सहायक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 08.09.2016 है तथा दिनांक 07.09.2018 को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली है का वेतन नियतन दिनांक 08.09.2018 से रुपये 20800 (लेवल-5) पर वेतन नियतन करते हुए इन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है। इनके द्वारा आरएससीआईटी कम्प्यूटर योग्यता दिनांक 30.04.2016 एवं टंकण परीक्षा दिनांक 30.06.2022 को उत्तीर्ण करली गई है।

कर्मचारी को टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण दिनांक 30.06.2022 से वार्षिक वेतन वृद्धि का नकद लाभ देय होगा व टंकण गति परीक्षा से पूर्व वार्षिक वेतन वृद्धि का नोशनल लाभ देय होगा।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/परिवीक्षा/जोन-जयपुर/2023/225 दिनांक : 02/03/23
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
3. श्री शुभम सैन, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर